न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी - मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2023/167

1. कान्ती बाई पुत्री रामचन्द्र जाति बैरवा
2. संतोष बाई पुत्री रामचन्द्र जाति बैरवा
   निवासीगण जुल्मी हाल निवास झालरापाटन जिला झालावाड़(राज.)

——अपीलान्टगण

बनाम

1. देवीलाल आत्मज कन्हीराम जाति गूर्जर निवासी ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी जिल कोटा
2. ज्यानी बाई पत्नी उदयराम जाति कुल्मी निवासी ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
3. राधेश्याम आत्मज जगन्नाथ जाति गूर्जर निवासी ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
4. रामलाल आत्मज माधो जाति गूर्जर निवासी ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

——रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्ते बहस :–1. श्री दीपक साहू, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः **28.02.2025**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 105/2015 में पारित निर्णय दिनांक 12.03.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलांट ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 183 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमंडी मे निम्न विवरण की आराजी वादग्रस्त स्थित हैः–(अ) खाता सं० 328/327 में दर्ज कृषि भूमि ख0नं0 2973 की रकबा 0.01 हेक्टर, ख0नं0 2974 की रकबा 1.58 हैक्टर योग 2 किता कुल क्षेत्रफल 1.59 हैक्टर। नकल जमाबन्दी ग्राम जुल्मी संवत 2004 से 2024 साथ संलग्न है। (ब) खाता स० 883/882 में दर्ज आराजी ख0नं0 1015 की रकबा 0.02 हैक्टर ख०नं० 3008 की रकबा 0.58 हैक्टर योग 2 किता कुल क्षेत्रफल 0.60 हैक्टर। नकल जमाबन्दी ग्राम जुल्मी संवत 2004 से 2024 साथ संलग्न है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि वादीनीगण की पेतृक सम्पत्ती है जो पूर्व में वादीनीगण के दादा राधाकिशन जी के खातेदारी में दर्ज थी। राधाकिशन की मृत्यु के बाद

अपील संख्या 2023/167

कान्ती बाई बनाम देवीलाल वगै0

वादीनीगण के पिता स्व० रामचन्द्र जी के खातेदारी में दर्ज हुई। वादीनीगण का वंश वृक्ष वादपत्र में अंकित किया। स्व० राधाकिशन जी के दोनो पुत्रो रामचन्द्र एवं देवलाल के मध्य पूर्व में ही आराजी का विभाजन हो गया था। देवलाल के हिस्से में आई आराजी का कोई विवाद नहीं है इस कारण देवलाल के वंशवृक्ष का उल्लेख इस वाद–पत्र में नही किया गया है। समस्त वादग्रस्त आराजी वादीनीगण के स्व० पिता रामचन्द जी के हिस्से एवं खातेदारी की है। वादीनीगण स्व० राधाकिशन जी की पौत्रीयां एवं स्व० रामचन्द्र जी की पुत्रीयां है। वाद–पत्र की मद नं० 1 (अ) एवं (ब) में वर्णित वादग्रस्त आराजी (पैतृक संम्पत्ती) में वादीनीगण का जन्म से ही अपने पिता स्व० रामचन्द्र जी के साथ 1/3, 1/3 हिस्सा निहित रहा है। तथा रामचन्द्र जी के देहान्त के बाद से वादग्रस्त आराजी में वादीनीगण प्रत्येक का हिस्सा 1/2, 1/2 निहित हो गया है। वाद–पत्र की मद नं० 1 (अ) में वर्णित वादग्रस्त आराजी ख0नं0 2973 की रकबा 0.01 हैक्टर, ख0नं0 2974 की रकबा 1'58 हैक्टर योग 2 किता कुल क्षेत्रफल 1.59 हैक्टर को प्रतिवादी नं० 1 ने वादीनीगण की सहमति के बिना ही एवं विधिवत विभाजन कराये बिना ही छलपूर्वक विकय रजिस्ट्री के फर्जी दस्तावेजो की कूटरचना कर स्वयं के खातेदारी में दर्ज करवा ली। वाद–पत्र की मद नं० 1 (ब) में वर्णित वादग्रस्त आराजी ख०न० 3008 की रकबा 0'58 हैक्टर को प्रतिवादी नं० 2 ने वादीनीगण की सहमति के बिना ही एव विधिवत विभाजन कराये बिना ही छलपूर्वक विक्रय रजिस्ट्री के फर्जी दस्तावेजो की कूटरचना कर स्वयं के खातेदारी में दर्ज करवा ली। वाद–पत्र की मद नं० 1 (ब) में वर्णित वादग्रस्त आराजी आराजी ख०न० 1015 की रकबा 0.02 हैक्टर को प्रतिवादी न० 3 एवं 4 ने वादीनीगण की सहमति के बिना ही एवं विधिवत विभाजन कराये बिना ही छलपूर्वक विक्रय रजिस्ट्री के फर्जी दस्तावेजो की कूटरचना कर स्वय के खातेदारी में दर्ज करवा ली। प्रतिवादीगण न० 1 लगायत 4 के तथाकथित विकय पत्र वादीनीगण के विरुद्ध नल एण्ड वायड (Null & Void) तथा प्रभावशून्य है एवं वादीनीगण पर बाध्यकारी नही है। तथाकथित विक्रय पत्र निम्न कारणो से भी वादीनीगण के विरुद्ध नल एण्ड वायड तथा प्रभावशून्य है एवं वादीनीगण पर बाध्यकारी नही है– (अ) वादीनीगण एवं वादीनीगण के स्व० पिता रामचन्द्र जी की जाति बैरवा है जो अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आती है। (जाति प्रमाण–पत्र सलग्न है)। तथा प्रतिवादी न० 1 एवं प्रतिवादीगण नं० 3 एव 4 की जाति गूजर एवं प्रतिवादी नं० 2 की जाति कुल्मी है। प्रतिवादीगण नं० 1 लगायत 4 अनूसूचित जाति के नहीं है। उक्त विक्रय धारा 42 RT-ACT के प्रावधानो के विपरीत होने से प्रारम्भ से ही शून्य (Ab anitio void) है। तथा प्रत्तिवादीगण नं० 1 लगायत 4 को उक्त वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार से खातेदारी अधिकार हासिल नही हो सकते है। वादीनीगण की सहमति के बिना वादीनीगण के पिता स्व० रामचन्द्र जी को सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी को विक्रय करने का कानूनी अधिकार हांसिल नही था। प्रतिवादीगण न० 1 लगायत 4 ने वादीनीगण के पिता स्व० रामचन्द्र जी की वृद्धावस्था का नाजायज लाभ उठा कर कोई प्रतिफल की राशी भी नही दी है। छल पूर्वक धोके से उक्त आराजी के विक्रय का पंजीयन करवा कर जबरन कब्जा कर लिया एवं वादीनीगण को इसकी कोई जानकारी नही होने दी। प्रारम्भ से ही शून्य दस्तावेज के आधार पर उक्त वादग्रस्त आराजी में निहित वादीनीगण के हिस्से की आराजी पर प्रतिवादीगण नं० 1 लगायत 4 को कोई हक अधिकार हांसिल नही होते है। इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण नं० 1 लगायत 4 उक्त वादग्रस्त आराजी को दीगर व्यक्ति को बैचान कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा हो रहे है। यदि प्रतिवादीगण अपने इरादे में सुल हो गये तो वादीनीगण को दीगर मुकदमेंबाजी में उलझना पडेगा तथा

वादीनीगण अपने हिस्से की आराजी से वंचित हो जावेगी एव वादीनीगण को अपरिमित क्षति होगी। उक्त परिस्थितियो में वादीनीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे माननीय न्यायालय में यह वाद प्रस्तुत कर तथाकथित विक्रय–पत्रो को वादीनीगण के विरुद्ध नल एण्ड वायड तथा प्रभावशून्य घोषित कराते हुए वाद–पत्र की मद नं० 1 (अ) एवं (ब) में वर्णित वादग्रस्त आराजी में वादीनीगण न० 1 एवं 2 को प्रत्येक को उनके 1/2, 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित करावे। एवं वादीनीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण नं० 1 लगायत 4 के विरुद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करावे कि प्रतिवादीगण नं० 1 लगायत 4 उक्त वादग्रस्त आराजी को दीगर व्यक्ति को बैचान, रहन एवं अन्य किसी प्रकार से खुर्द बुर्द नही करे। एवं वाद–पत्र की मद नं० 1 (अ) एवं (ब) में वर्णित वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण नं० 1 लगायत 4 को बेदखल कर कब्जा आराजी वादीनीगण को संम्भलाया जावे। इसके लिये प्रतिवादीगण के तैयार नहीं होने से यह वाद–पत्र माननीय न्यायालय में पेश है। दिनांक 30.12.2014 को प्रतिवादीगण न० 1 लगायत 4 ने उक्त आराजी को कय करने की जानकारी देते हुए झगडे पर आमादा हो गये एवं उक्त वादग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा करने एवं वादग्रस्त आराजी दीगर व्यक्ति को वैचान करने की धमकी दी। इस पर वांछित नकले प्राप्त कर प्रथम बार जानकारी के 08.12.2015 से यह वाद अन्दर मियाद पेश है। वाद–कारण 30.12.2014 को प्रतिवादीगण न० 1 लगायत 4 ने उक्त आराजी को कय करने की जानकारी देते हुए झगडे पर आमादा होकर वादग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा करने एवं वादग्रस्त आराजी दीगर व्यक्ति को वैचान करने की धमकी देने पर तथा दिनांक 08.01.2015 को प्रमाणित प्रतिलिपीयां प्राप्त होने से वादीनीगण को प्रथम बार जानकारी होने पर पैदा हुआ है।अतः वाद–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि तथाकथित विक्रय–पत्रो को वादीनीगण के विरुद्ध नल एण्ड वायड तथा प्रभावशून्य घोषित करते हुए वाद–पत्र की मद नं0 1 (अ) एवं (ब) में वर्णित वादग्रस्त आराजी में वादीनीगण नं० 1 एवं 2 को प्रत्येक को उनके 1/2, 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जावे। वादीनीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण नं० 1 लगायत 4 के विरुद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादीगण नं० 1 लगायत 4 उक्त वादग्रस्त आराजी को दीगर व्यक्ति को बैचान, रहन एवं अन्य किसी प्रकार से खुर्द बुर्द नही करे। वाद–पत्र की मद नं० 1 (अ) एवं (ब) में वर्णित वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण नं० 1 लगायत 4 को बेदखल कर कब्जा आराजी वादीनीगण को संम्भलाया जावे। तथा प्रतिवर्ष की फसल का मुआवजा दर 2,000/–रू० प्रति बीधा/प्रतिवर्ष के हिसाब से वादीनीगण को दिलाया जावे। खर्चा मुकदमा एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो वादीनीगण प्राप्त करने की हकदार हो वह भी वादीनीगण को प्रदान की जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.03.2021 को वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.03.2021 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.03.2021 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई

जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय दिनांक 12.03.2021 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। दौराने बहस रेस्पोडेन्ट व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहने से विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2021 को पारित की गई थी चूंकि वादीगण अनपढ, अशिक्षित महिला होने एवं तात्कालिक समय पर कोरोना महामारी की वजह से उक्त निर्णय व डिक्री के बारे मे कोई जानकारी प्राप्त नही कर सके और न ही अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर सके किन्तु वादीगण/अपीलान्टगण कुछ समय पूर्व न्यायालय में अपने अधिवक्ता के पास पहुंचकर उक्त वाद के बारे मे जानकारी प्राप्त की तो अधिवक्ता द्वारा सूचित करने पर वादीगण/अपीलान्ट्स द्वारा दिनांक 07.08.2023 को उक्त निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु नकल आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 08.08.2023 को नकल की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करी। अतः दिनांक 12.03.2021 से 08.08.2023 तक अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से उक्त देरी कण्डोन की जाकर उक्त अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दिनांक 12.03.2021 से 08.08.2023 तक अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन करते हुये अपील पर विधिवत रूप से सुनवाई की जावे। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किए जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के विचाराधीन रहते हुए प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश नियम 27 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण से सुसंगत है तथा अपील के न्यायिक निस्तारण में सहायक है। अतः उक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. व उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण से सुसंगत होना प्रतीत होते है अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. स्वीकार

राजस्थान राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2021 कानून व तथ्यों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट कम 1 तथा प्रतिवादी कम 2, 3, व 4 द्वारा प्रस्तुत अपने जवाब दावे में ऐसा एक भी स्पष्ट तथ्य अंकित नहीं किया है जिससे यह प्रतीत होता हो कि वादीगण का वाद खारिज फरमाने योग्य है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के जवाब दावे व शपथ पत्रो को ही आध गार मानकर वादीगण के वाद को खारिज कर दिया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 व 5 का विनिश्चिय वादीगण के विरूद्ध तथा प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाकर बहुत गंभीर त्रुटि की है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 व 5 को निर्धारित करते समय यह अंकित किया कि प्रकरण मे मात्र प्रतिवादी देवीलाल द्वारा ही बेयनामा की प्रति प्रस्तुत की गई जिसमे बेचानकर्ता की जाति लश्करी दर्ज है तथा स्वयं वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 2 मे रामचन्द्र पुत्र राधाकिशन की जाति लश्करी दर्ज है। रामचन्द्र जी जो कि वादीगण के पिता है की जाति लश्करी है तथा इनके द्वारा खसरा संख्या 3008 की 0.58 हेक्टर भूमि बेचान नामान्तकरण नं0 20 दिनांक 05.11.2002 के खाते मे दर्ज होना बताया है। वादीगण द्वारा अपने जाति प्रमाण पत्र, माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जिनमें जाति का कोई उल्लेख नही है और अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी अंकित किया है कि उक्त दोनो दस्तावेजात झालरापाटन नगरपालिका द्वारा एक ही दिनांक 27.01.2015 को जारी किये गये है जिनमे भी जाति का कोई उल्लेख नही है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि वादीगण द्वारा एक भी ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है जिनके आधार पर यह तय किया जा सके कि रामचन्द्र पुत्र राधाकिशन की जाति लश्करी न होकर बैरवा हो और तनकी संख्या 1 निर्धारित करने मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह अंकित किया है कि राजस्व अभिलेख एवं रजिस्टर्ड दस्तावेज मे जाति स्पष्ट रूप से लश्करी दर्ज है तथा जाति प्रमाण पत्र वादीगण के है जो बाद मे बनाये गये है। इस राजस्व रिकार्ड एल.आर. एक्ट 1956 के अन्तर्गत तब तक सही माने जाते है जब तक की कोई सक्षम न्यायालय त्रुटिपूर्ण घोषित नहीं कर दे। अतः उक्त प्रकरण मे स्पष्ट है कि भूमि का बेचान कर्ता जाति से लश्करी है तथा लश्करी जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में दर्ज नही है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आशय निकाला गया है वह सही नही है जाति प्रमाण पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र सरकार द्वारा जारी किये जाते है जिनको नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता और माननीय न्यायालय द्वारा जो निष्कर्ष निकाला गया है कि जाति प्रमाण पत्र राजस्व अभिलेख के बाद मे बनाये गये है तो किसी व्यक्ति की जाति कभी भी नही बदलती है। वादीगण/अपीलार्थीगण के पिता की जाति राजस्व रिकार्ड मे लश्करी थी जो अनूसूचित जाति मे ही सम्मिलित थी एवं वादीगण की जाति बैरवा थी जो रिकार्ड के अनुसार अनूसुचित जाति मे सम्मिलित है अतः माननीय न्यायालय द्वारा भूमि के बेचान मे धारा 42 का उल्लघंन नही मानकर गंभीर कानूनी त्रुटि की है इस कारण भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2021 खारिज होने योग्य है। माननीय अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 2 वादीगण के विरूद्ध तय कर कानूनी त्रुटि की है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विक्रय पत्र को धारा 42 आरटीएक्ट से बाधित होना या प्रारम्भ से ही शून्य नही माना है जबकि विधि स्पष्ट कहती है कि एससी/एसटी के व्यक्ति से किसी सामान्य जाति के व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अनुसूचित जाति या जनजाति का नही है कोई जमीन खरीदी जाती है तो उसके संबंध मे किया गया बेचाननामा, एग्रीमेन्ट का कोई अस्तित्व नही होता है तथा वह विधि द्वारा प्रतिबन्धित होता है और ऐसा दस्तावेज प्रारम्भ से ही शून्य होता है विधि के इस सुस्थापित सिद्धान्त के विपरीत निष्कर्ष निकालकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी त्रुटि की गई है इसलिये भी निर्णय व डिकी खारिज किये जाने योग्य है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 3 का जो निष्कर्ष निकाला है कि वादीगण उक्त भूमि पर धारा 5 (43) या धारा 14 आरटीएक्ट मे वर्णित अभिघारी या आसामी नही है जो कि गलत है, उक्त भूमि खसरा संख्या 2973, 2974 व 3008 वाके माल मौका जुल्मी वादीगण के पिता की भूमि है जिस पर उनको कब्जा एंव स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। तनकी संख्या 4 वादीगण के विरूद्ध तय की जाकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेजो को नजरअन्दाज कर ऐसा निष्कर्ष निकाला है इस आधार पर भी निर्णय व डिकी दिनांक 12.03.2021 निरस्तनीय है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय व डिकी जारी करने मे जल्दबाजी की है व वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो, साक्ष्य व रिकार्ड का बिना अवलोकन किये निर्णय व डिकी पारित की है जो निरस्तनीय है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 12.03.2021 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद डिकी किये जाने का निवेदन किया।

9. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

वादीगण अपीलांटगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण की पैतृक सम्पत्ति है तो वादीगण के दादा रामकिशन की खातेदारी में दर्ज थी। वादीगण खातेदार राधाकिशन के पुत्र रामचन्द्र की पुत्रियां है जिनका वादग्रस्त भूमि में 1/3, 1/3 हिस्सा निहित

है। वादीगण का आगे कथन है कि वह अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण की सहमति के बिना ही रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के द्वारा वादग्रस्त भूमि स्वयं के नाम दर्ज करवा ली है तथा प्रतिवादीगण गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति है अतः रामचन्द्र द्वारा प्रतिवादीगण के पक्ष में किया गया हस्तांतरण धारा 42 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के विपरीत होने से प्रारंभ से ही अवैध व प्रभावशून्य है तथा उक्त विक्रय–पत्र के आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को किसी प्रकार के हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाबदावे में प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पंजीकृत विक्रय–पत्र द्वारा खरीद किए जाने का अंकन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 29.08.1997 की फोटोप्रति प्रस्तुत की है। पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 29.08.1997 में रामचन्द्र वल्द राधाकिशन जाति लश्करी द्वारा स्वयं के खाते की वाके ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी की खसरा संख्या 2302 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा भूमि देवीलाल वल्द कन्हीराम को विक्रय किए जाने का अंकन है। रेस्पोडेन्टगण का कथन है कि अपीलांटगण की जाती लश्करी है जो अनुसूचित जाति में नहीं आती है अतः उक्त पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 29.08.1997 द्वारा किया गया हस्तांतरण धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विपरीत नही होने से उक्त बैचान कानून वैध है। यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलांटगण खातेदार रामचन्द्र की पुत्रियां है। अपीलांटगण द्वारा स्वयं को अनुसूचित जाति का सदस्य होने का कथन किया है तथा अपने कथन के समर्थन में अपीलांटगण द्वारा जाति प्रमाण–पत्र की फोटोप्रति पेश की है। अपीलांट संख्या 1 व 2 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श–5A व प्रदर्श –6A में अपीलांटगण के अनुसूचित जाति की होने का अंकन है। अतः यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित था कि अपीलांटगण अनुसूचित जाति की सदस्य है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 व 5 में पारित अपने निष्कर्ष में उक्त प्रमाण पत्रों के आधार पर अपीलांटगण को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना है जो त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित था कि अपीलांटगण अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा अपीलांटगण के पिता रामचन्द्र द्वारा ही वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 29.08.1997 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में हस्तांतरित की गई है। अतः हमारे मत में प्रश्नगत पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 29.08. 1997 द्वारा किया गया हस्तांतरण प्रथम दृष्ट्या धारा 42 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध एवं प्रभावशून्य होना प्रकट होता है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 42 राज. काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन नहीं होना मानकर वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने का निर्णय पारित स्वीकार किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में वादग्रस्त भूमि में उभयपक्षकारान के मध्य हक अधिकारों को लेकर विधि के गंभीर प्रश्नगत अंतर्निहित है जिनका निर्धारण उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत ही किया जाना संभव है।

अतः हमारे मत में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के निर्देशों के साथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 105/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2021 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा दस्तावेजी साक्ष्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन करते हुए तनकीवार नवीन निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 15.04.2025 को स्वयं उपस्थित रहें

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/2/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा